कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

प्रभारी मीडिया,

इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार तीन समाचार पत्र दैनिक युवा रिपोर्टर ________ ,दैनिक शाह टाइम्स एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।

सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग
ई–निविदा

पत्रांकः 371 /सम्प0अनु0 दिनांक : 23/12/21

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर वित्तीय वर्ष 2021–22 (31.03.2022 तक) व वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ठेका पार्किंग के लिये नगर निगम कार्यालय ई–निविदा आमंत्रित आमंत्रित करता है, ऑफरदाता ऑनलाईन टैण्डर प्रकिया में भाग ले सकते हैं–

क्र0सं0	पत्रा0 सं0	ठेके का नाम	जमानत राशि	जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र	पूर्व में दिये गये वित्तीय वर्ष स्वीकृत राशि मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)	न्यूनतम ऑफर धनराशि 10 प्रतिशत वृद्वि के साथ मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) (31.03.2023 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	NZ1	ठेका पार्किंग टैक्सी स्टेण्ड वाली भूमि पर	2,00,000.00	20 लाख	14,28,786.00	17,85,983.00
2	NZ2	ठेका पार्किंग जी0पी0ओ0 रोड	2,00,000.00	20 लाख	11,20,000.00	14,00,000.00
3	NZ2	ठेका पशु मण्डी कमेला रोड	10,00,000.00	1.5 करोड (एक करोड पचास लाख)	1,58,35,956.00	1,97,94,945.00

नोट 1– प्रत्येक ठेके के निमित्त निर्धारित जमानत राशि एफ.डी.आर,डी0डी0 जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बंधक होगी, के साथ रंगीन फोटो, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, व जी0एस0टी0 नम्बर/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

2– ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.in व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3– ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4– जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षो के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नही करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नही होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नही ले सकेगें।

5– ऑनलाईन निविदा दिनांक 30/12/21 को अपरान्ह 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से तथा दिनांक 30/12/21 को अपरान्ह 03:00 बजे तक कार्यालय में रखें टैण्डर बाक्स में अपनी टेक्निकल निविदा को डालें जाने एवम् तद्‌दिनांक को सायं 04:00 बजे निविदा गठित समिति एवं निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

6– टैण्डर शुल्क एन0जैड0 03 को छोडकर सभी ठेकों में अंकन 1298/– रू0 तथा एन0जैड0 03 में अंकन 2592/– रू0 (माल एंव सेवा कर सहित) देय होगा।

कर अधीक्षक
नगर निगम सहारनपुर

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम सहारनपुर।

मा0 महापौर महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 22/12/2021 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।
3– रिकार्ड कीपर को नीलाम की व्यवस्था कराने हेतु।
4– नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम सहारनपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

वित्तीय वर्ष 2021–22 (31 मार्च 2022 तक) व वित्तीय वर्ष 2022–23 तक के लिये ठेका पार्किंग एव अन्य ठेके हेतु ई–निविदा हेतु शर्तें

1–प्रत्येक ठेके की निमित्त जमानत राशि की एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफट के रुप में जमा कर सकते है। एफ0डी0आर0/ बैंक ड्राफट लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बन्धक होगी।

2–जमानत राशि सम्पूर्ण ठेका अवधि तक बन्धक रहेगी तथा टैण्डर शर्तों के अनुसार ठेका सम्पन्न करते रहने पर ठेका अवधि के पश्चात ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। जमानत राशि का समायोजन ठेका राशि में नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/फर्म की कोई धनराशि ठेका राशि में समायोजित नहीं की जायेगी। नगर निगम का कोई बकायेदार बिना बकाया राशि जमा कराये टैण्डर में भाग नहीं ले सकेगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/बोलीदाता टैण्डर में किसी भी दशा में भाग नही ले सकता है।

3–यह कि ठेका स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 03 दिन के अन्दर ठेकेदार को अपनी निविदा की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर ही कार्यादेश जारी हो सकेगा शेष धनराशि कार्यादेश जारी होने से तीन माह के अन्दर जमा करनी होगी यदि ठेकेदार ऐसा नही करता है तो जमानत राशि सहित समस्त धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

4—यदि निविदादाता उक्त अवधि में धनराशि जमा नही करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

5–ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।

6–ठेके की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत राशि जब्त करने, जमा धनराशि सहित जमानत राशि जब्त करने, जुर्माना करने, धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त करने तथा शर्तो के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।

7–ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।

8–ठेके के निमित्त भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा कोई कर अधिरोपित होता है, तो ठेकेदार देने के लिए उत्तरदायी व पाबन्द होगा। जिन ठेकों पर सेवा कर लागू होगा ठेकेदार ठेके की धनराशि के साथ–साथ देने के लिये बाध्य होगा। निगम ठेके के निमित्त कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

9–ठेकेदार निर्धारित ठेका स्थल पर ही वसूली करेगा तथा वसूल की जाने वाली शुल्क की रसीदों का प्रारुप नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त ही रसीद जारी की जायेगी। ऐसा न करने पर उसे ठेके की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

10–यदि ठेका स्थल में नगर निगम/नगर आयुक्त द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो ठेकेदार परिवर्तित स्थल पर ठेके की शर्तों एवं अनुबन्ध के अनुसार ठेका चलाने हेतु आबद्ध रहेगा।

11– ठेकेदार ठेका स्थल पर 3X3 वर्ग फीट का एक बोर्ड स्थापित करेगा, जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके की अवधि व लिये जाने वाले शुल्क/दर का विवरण अंकित करेगा। ऐसा न करने पर उसे अवैध कृत्य/शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुये ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

12–यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13– किसी वाद–विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।

14– अनुबंध एवं कार्यादेश से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसीयत प्रमाण पत्र एव वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा।

15– वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु पार्किंग ठेकों में वाहनों से वसूले जाने वाली दरों का विवरण

साईकिल	– 05 रु.
स्कूटर	– 10 रु.
मोटर साईकिल	– 10 रु.
कार/जीप	– 50 रु.

Scanned with CamScanner

थ्री व्हीलर – 25 रु.

16– प्रत्येक ठेका की टैण्डर प्रकिया में भाग लेने के लिये चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण, जी0एस0टी0 नम्बर/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आवश्यक है, अन्यथा की दशा में ठेका टैण्डर स्वीकार्य नही होगा।

17–यह कि उक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी तरह का बकाया रह जाने पर समस्त जमा धनराशि व जमानत धनराशि सहित जब्त कर अवशेष धनराशि को बकाया भू–राजस्व की भांति वसूल किया जा सकेगा।

18– टैण्डर शुल्क एन0जैड0 03 को छोडकर सभी ठेकों में अंकन 1298/– रू0 तथा एन0जैड0 03 में अंकन 2592/– रू0 (माल एंव सेवा कर सहित) देय होगा।

कर अधीक्षक
नगर निगम सहारनपुर

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
नगर निगम सहारनपुर।

Scanned with CamScanner